ए.

पवन कुमार बनाम।

भारत संघ और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं.3574 2022 का) 02 मई, 2022

बी.

[अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987:आरआर।52 और 67.2-निष्कासन आदेश-तथ्यों के आधार पर, रेलवे सुरक्षा बलों में कांस्टेबल के पद के लिए चयनित अपीलार्थी-भर्ती की स्थिरता-हालांकि, प्रशिक्षण के दौरान, अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में सत्यापन प्रपत्र में गलत घोषणा/प्रासंगिक जानकारी को दबाने के आधार पर सेवा से छुट्टी दे दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्वहन आदेश-अपील पर:आयोजित किया गया:इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी मामले में कोई दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की गई है, केवल सामग्री/झूठी जानकारी को दबाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से छुट्टी/बर्खास्त कर सकता है-जो उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, उसे हमेशा सेवा में शामिल होने से पहले और बाद में सत्यापन/प्रमाणन प्रपत्र में अपने चरित्र और पूर्वजों से संबंधित सही जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है-जिस व्यक्ति ने सामग्री जानकारी को दबा दिया है या झूठी घोषणा की है, उसे वास्तव में नियुक्ति या सेवा में निरंतरता प्राप्त करने का कोई निरंकुश अधिकार नहीं है, हालांकि, सक्षम प्राधिकारी को विवेकपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है-यार्डस्टिक/मानक जिसे पदधारी की उपयुक्तता का निर्णय लेने के संबंध में लागू किया जाना है, हमेशा पद की प्रकृति, कर्तव्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

928

929

पवन कुमार बनाम भारत संघ और ए. एन. आर.

विवेकपूर्ण और उचित तरीके से-भर्ती द्वारा किए जाने वाले पद की प्रकृति और कर्तव्यों की प्रकृति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बल का सदस्य बनने के लिए पदधारी की समग्र उपयुक्तता की जांच करते समय कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है और इसे अपास्त करना दिया गया है।

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **(2016) 8** एससीसी

बी.

471 :[2016] 7 एस**.** सी**.** आर**. 445-**पर निर्भर था।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम अनिल कंवरिया (2021) 10 एस. सी. सी. 136 -

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

सी.

[2016] 7 एससीआर **445**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **18**

(2021) 10 एससीसी **136**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील No.3574।

डी.

2015 की रिट याचिका (सिविल) No.7872 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.11.2015 के निर्णय और आदेश से।

राजीव कटारिया, सुश्री देबयानी दास पी., मेसर्स दिल्ली लॉ चैंबर्स, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, वत्सल जोशी, मोहम्मद अखिल, प्रणीत प्रणव, अभिषेक राज, शैलेश मडियाल, अमरीश कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

एफ.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. तत्काल अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2015 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2015 को रोजगार सूचना सं. 9 (च) के खंड का सहारा लेते हुए आरोपमुक्त करने के आदेश को बरकरार रखा।1/2011 दिनांक 27 फरवरी, 2011 को रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 67.2 के सहपठित पढ़ा गया (इसके बाद "आर. पी. एफ. नियम 1987" के रूप में संदर्भित)।

जी.

3. रिकॉर्ड से सामने आए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि रेलवे पुलिस विशेष बल सहित रेलवे सुरक्षा बल (आर. पी. एफ.) में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार सूचना

एच.

ए.

(आर. पी. एस. एफ.) 27 फरवरी, 2011 को प्रकाशित हुआ।अपीलार्थी पात्र होने के कारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया और 23 जून, 2013 को आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 12 जून, 2014 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ और उसके बाद उसके अंतिम चयन को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।जब अपीलार्थी प्रशिक्षण ले रहा था, उसे 24 अप्रैल, 2015 के एक आदेश द्वारा रोजगार सूचना सं. 9 (च) के खंड का आह्वान करते हुए आरोपमुक्त कर दिया गया।1/2011 दिनांक 27 फरवरी, 2011 और आर. पी. एफ. नियम 1987 का नियम 67.2। 4.यह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक

रिट याचिका दायर करके अपीलार्थी के कहने पर चुनौती का विषय बन गया।यह रिकॉर्ड में आया कि एक स्तर पर एफ. आई. आर. नं.75 आई. पी. सी. की धारा 148/149 323/506/356 के तहत उसके खिलाफ 4 अप्रैल, 2011 को मामला दर्ज किया गया था और 13 अप्रैल, 2011 को आरोप पत्र दायर होने के बाद 7 जुलाई, 2011 को आरोप तय किया गया था।चूंकि यह उसके खिलाफ दर्ज एक झूठा मामला था, इसलिए अपीलार्थी को 12 अगस्त, 2011 के निर्णय द्वारा अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था और प्रत्यर्थी के अनुसार, इस तथ्य का खुलासा उसके द्वारा 27 मई, 2014 को सत्यापन प्रपत्र भरने पर नहीं किया गया था कि उस पर एक स्तर पर मुकदमा चलाया गया था और यह सत्यापन प्रपत्र में सूचना/झूठी घोषणा को दबाने का मामला होने के कारण, उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर, 2015 के निर्णय के तहत रिट याचिका को खारिज कर दिया और यह इस न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती का विषय बन गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

6. चयन की प्रक्रिया उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार सूचना सं.1/2011 आर. पी. एफ./आर. पी. एस. एफ. में सिपाही के पद को भरने के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2011। आर. पी. एफ. नियम 1987 का खंड 9 (च), जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

एफ.

“ 9(च) अपने पूर्ववृत्त और चरित्र पर प्रतिकूल रिपोर्ट रखने वाले उम्मीदवारों को आर. पी. एस. एफ. सहित आर. पी. एस. एफ. में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। झूठी घोषणा कानून के तहत एक अपराध है और इससे आवेदक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, आपराधिक मामला चलाया जा सकता है और नियुक्त होने पर सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसलिए, आवेदकों को आवेदन भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।”

जी.

7. निर्विवाद रूप से, उस तारीख को जब अपीलार्थी द्वारा रोजगार सूचना सं.1/2011, ऐसा कोई ए नहीं

एच.

उनके खिलाफ आपराधिक मामला या तो शुरू किया गया था या लंबित था और रोजगार सूचना संख्या के अनुसार अपना आवेदन पत्र भरने के समय उनके द्वारा क्या खुलासा किया गया था। 1/2011, उस स्तर पर प्रासंगिक जानकारी का कोई दमन या झूठी घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई थी।यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि 4 अप्रैल, 2011 को उसके खिलाफ तुच्छ प्रकृति का एक झूठा आपराधिक मामला दर्ज किया गया और चूंकि आरोप पत्र दायर करने से पहले उसके पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं थे, इसलिए वास्तविक शिकायतकर्ता ने 19 अप्रैल, 2011 को अपना हलफनामा प्रस्तुत किया कि 4 अप्रैल, 2011 को ऐसी कोई कथित घटना नहीं हुई थी और बैग चालक की सीट के नीचे ही पाया गया था और गलत धारणा के तहत उसके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी।अभियोजन पक्ष के गवाह ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और इस कारण से अपीलार्थी को निचली न्यायालय ने 12 अगस्त, 2011 के फैसले से सम्मानपूर्वक बरी कर दिया था। 8.दुर्भाग्य से, जब अपीलार्थी ने 27 मई, 2014 को बाद के चरण में सत्यापन प्रपत्र भरा, तो उसके द्वारा और प्रत्यर्थी के अनुसार, सत्यापन प्रपत्र के खंड 12 (ए) और 12 (बी) में कुछ गठनों का खुलासा किया जाना वांछित था, जैसा कि अपीलार्थी ने खंड 12 (ए) और (बी) के जवाब में "नहीं" का उल्लेख किया था, जब उसे यह खुलासा करने के लिए कहा गया था कि क्या उसे कभी गिरफ्तार किया गया है या उस पर मुकदमा चलाया गया है, जिसे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में सत्यापन प्रपत्र में प्रासंगिक जानकारी का दमन/झूठी घोषणा प्रस्तुत करना माना जाता था।उक्त आधार पर कार्यवाही करते हुए, आरोपमुक्त करने का आदेश 24 अप्रैल, 2015 को पारित किया गया।इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक जानकारी के उद्धरण को उद्धृत करना प्रासंगिक होगाः

बी.

सी.

डी.

ई.

“सत्यापन प्रपत्र

नोटःइस ध्यान फॉर्म को अन्य पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए चयनित उम्मीदवार के रूप में केवल अंतिम रूप से ध्यान में रखा जाएगा और विवाह के बाद उम्मीदवार को स्वीकार किया जाएगा। चेतावनीःध्यान देने वाले प्रपत्र में किसी भी वास्तविक सूचना की गलत जानकारी या प्रस्तुति एक विसंगति होगी, और सरकार के तहत नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए ऐसा ही है।

एफ.

जी.

एच.

932

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

12 (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है?हाँ/नहीं/(ख) क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है?

हाँ/नहीं

.....”

9. रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के तहत, सेवा में प्रवेश के समय केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदधारी के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करना पड़ता है।नियम 1987 के नियम 52 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

बी.

“ नियम 52/वेरिफिकेशनः

सी.

52.1 जैसे ही एक भर्ती का चयन किया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से बल में नियुक्त होने से पहले, उसके चरित्र और पूर्ववृत्त को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।

52.2 जहां सत्यापन के बाद, एक भर्ती बल के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, उसे बल के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।”10. यह देखा जा सकता है कि जब एक भर्ती का चयन किया जाता है और औपचारिक रूप से नियुक्त होने से पहले, उसके चरित्र/पूर्ववृत्त को सत्यापित करना होता है और उचित सत्यापन के बाद यदि भर्ती पद के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो बल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।यह आवश्यक है कि भर्ती के चरित्र/पूर्ववृत्तियों का सत्यापन होने के बाद, यह नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य करता है कि क्या कथित जानकारी/झूठी घोषणा का दमन उसे नियम 1987 के नियम 52 के संदर्भ में बल में नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानता है। 11.इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखने वाले उम्मीदवार को हमेशा सेवा में शामिल होने से पहले और बाद में सत्यापन/सत्यापन प्रपत्र में अपने

चरित्र और पूर्वजों से संबंधित सही जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।यह भी उतना ही सच है कि जिस व्यक्ति ने भौतिक जानकारी को दबा दिया है या झूठी घोषणा की है, उसे वास्तव में नियुक्ति या सेवा में निरंतरता की मांग करने का कोई निरंकुश अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसे मनमाने ढंग से नहीं निपटा जा सकता है और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।यह बिना कहे चला जाता है कि पदधारी की उपयुक्तता का निर्णय लेने के संबंध में जिस मानदंड/मानक को लागू किया जाना है, वह हमेशा पद की प्रकृति पर निर्भर करता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

933

पवन कुमार बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

कर्तव्यों की प्रकृति, विभिन्न पहलुओं के उचित परिश्रम पर प्राधिकरण द्वारा विचार की जाने वाली उपयुक्तता पर दमन का प्रभाव, लेकिन इस संबंध में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

12. इससे पहले, इस न्यायालय की खंड पीठों के विभिन्न निर्णयों में मतभेद रहा है और जिस स्तर पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 17 नवंबर, 2015 के विवादित आदेश के तहत रिट याचिका को खारिज कर दिया, उस स्तर पर इस न्यायालय के अलग-अलग विचार थे और जिसे बाद में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुलझा लिया गया।

बी.

यह न्यायालय अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में है।**1.** जबकि

निष्कर्ष का सारांश देते हुए, इस न्यायालय ने व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिन पर नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन मामलों से निपटने में ध्यान दिया जाना चाहिए जहां भौतिक जानकारी का दमन या गलत जानकारी का प्रकटीकरण होता है और पहले के निर्णयों का मिलान करने के बाद संक्षिप्त रूप से निष्कर्षों को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:"34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र और पूर्वजों का सत्यापन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और नियोक्ता के लिए पदधारी के पूर्वजों का निर्णय करने के लिए

खुला है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

सी.

डी.

35. "भौतिक" जानकारी के दमन से यह अनुमान लगाया जाता है कि जिसे दबाया जाता है वह हर तकनीकी या तुच्छ मामले को "मायने" नहीं रखता है।नियोक्ता को उम्मीदवारी रद्द करने या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों/निर्देशों, यदि कोई हो, पर उचित विचार करके कार्य करना होगा।यद्यपि एक व्यक्ति जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है और मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

ई.

एफ.

36. किस मानदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है, उच्च पद में सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे, न कि केवल समान सेवा के लिए। निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों/सेवाओं के पद/प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

जी.

1 (2016) 8 एस. सी. सी. 471

एच.

37. "मैकार्थीवाद" संवैधानिक लक्ष्य के विपरीत है, उपयुक्त मामलों में युवा अपराधियों को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए, सुधारवादी सिद्धांत की परस्पर क्रिया को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे आम तौर पर लागू किया जा सकता है, लेकिन उम्मीदवारी को रद्द करने या किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है।

बी.

38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैंः

38.1.एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

सी.

38.2.गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

डी.

38.3.नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

ई.

38.4.यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता हैः38.4.1.तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है।

एफ.

जी.

38.4.2.जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4.3.यदि नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका था**,** तो तकनीकी ए पर

एच.

इस आधार पर कि यह दोषमुक्त होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ नहीं दिया गया है, नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5.ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

बी.

38.6.यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

सी.

38.7.कई लंबित मामलों के संबंध में जानबूझकर तथ्य को दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

डी.

38.8.यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

ई.

38.9.यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

एफ.

38.10.दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था।यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के

ज्ञान में आती है, तो फिटनेस के सवाल को संबोधित करते समय वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है।हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

जी.

एच.

38.11.इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए**,** तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।**”**

13. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पष्टीकरण से जो सामने आता है वह यह है कि केवल सामग्री/झूठी जानकारी को दबाने से, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई दोषसिद्धि या बरी किया गया है, कर्मचारी/भर्ती को केवल कलम के एक झटके से स्वयंसिद्ध रूप से सेवा से छुट्टी/समाप्त नहीं किया जाना है।साथ ही, आपराधिक मामले में शामिल सामग्री/झूठी जानकारी, यदि कोई हो, के दमन का प्रभाव नियोक्ता पर छोड़ दिया जाता है कि वह कर्मचारी के सेवा में बने रहने/उपयुक्तता के संबंध में उचित निर्णय लेते समय पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करे और वस्तुनिष्ठ मानदंडों और प्रासंगिक सेवा नियमों को ध्यान में रखे।इस न्यायालय द्वारा जो देखा जा रहा है वह यह है कि किसी दिए गए मामले में केवल सामग्री/झूठी जानकारी को दबाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से छुट्टी/बर्खास्त कर सकता है।

बी.

सी.

14. मामले की सुनवाई के बाद एक स्तर पर, इस न्यायालय द्वारा 21 अक्टूबर, 2021 को विस्तृत आदेश पारित किया गया था और अवतार सिंह (उपरोक्त) के फैसले पर ध्यान देते हुए नियोक्ता को इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अपने फैसले की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।इसके अनुपालन में, समीक्षा आदेश 23 दिसंबर, 2021 को पारित किया गया है, जो 24 अप्रैल, 2015 के निर्वहन के अपने पहले के निर्णय की पुष्टि करता है।23 दिसंबर, 2021 के समीक्षा आदेश का केवल अवलोकन ही इंगित करता है कि प्राधिकरण ने अपना दिमाग नहीं लगाया है और तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करने के ठीक बाद, 24 अप्रैल, 2015 के निर्वहन आदेश की पुष्टि की है।

डी.

ई.

15. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश के पैरा 5 (सी) में, अपीलार्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र भरने के समय प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र का एक संदर्भ दिया गया है, लेकिन जिस दिन आवेदन पत्र भरा गया था, उस दिन रोजगार सूचना के खंड 9 (एफ) के संदर्भ में जो जानकारी उसने निर्विवाद रूप से प्रकट की थी, उस तारीख को उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या तो शुरू नहीं किया गया था या लंबित नहीं था।यह ध्यान देने योग्य है कि रोजगार नोटिस 27 फरवरी, 2011 का है और कथित आपराधिक मामला 4 अप्रैल, 2011 को दर्ज किया गया था।साथ ही, प्राधिकरण ने नियम 1987 के नियम 52 के दायरे और दायरे पर भी विचार नहीं किया है कि पदधारी के चरित्र/पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद, यह जांच करना प्राधिकरण का दायित्व होगा कि क्या पदधारी/भर्ती बल का सदस्य बनने के लिए उपयुक्त है और बिना किसी यांत्रिक तरीके से 24 अप्रैल, 2015 के निर्वहन के आदेश की पुष्टि की गई है।

एफ.

जी.

एच.

937

पवन कुमार बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

ए.

16. फैसला प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य द्वारा भरोसा किया गया

विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम अनिल कंवरिया **2**

इस कारण से कोई सहायता नहीं हो सकती है कि यह एक ऐसा मामला था जहां प्रत्यर्थी कर्मचारी को आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने से पहले अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और अपने आवेदन पत्र को भरते समय इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था और यही कारण था कि अदालत ने समाप्ति के आदेश को पारित करने में प्राधिकरण की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए पक्ष लिया था जो कार्यवाही में आक्षेपित था।हम पहले ही अवतार सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के पैराग्राफ 38 का हवाला दे चुके हैं और वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उक्त सिद्धांतों को लागू कर चुके हैं।एक विशिष्ट कारक, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह है कि वर्तमान मामले में आपराधिक शिकायत/एफ. आई. आर. आवेदन पत्र जमा करने के बाद दर्ज की गई थी।हमने आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा है और यह मामला तुच्छ प्रकृति का था जिसमें नैतिक अधमता

शामिल नहीं थी।इसके अलावा, कार्यवाही एक निर्दोष बरी होने में समाप्त हो गई थी।जैसा कि अवतार सिंह (उपरोक्त) के पैराग्राफ 38 से स्पष्ट है, सभी मामलों को एक संकीर्ण स्थिति में नहीं रखा जा सकता है और अधिकारियों के पास कुछ हद तक लचीलापन और विवेक निहित है, सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें चूक की प्रकृति और प्रकार भी शामिल है।

बी.

सी.

डी.

17. तत्काल मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा भरे गए सत्यापन प्रपत्र के समय, उसके खिलाफ आपराधिक मामला पहले ही दर्ज विद्वान जा चुका था, लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि बहुत हद तक, शिकायतकर्ता ने अपना हलफनामा दायर विद्वान कि जिस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वह गलतफहमी के कारण थी और वह अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन फिर भी आरोप पत्र दायर विद्वान गया और सुनवाई की पहली तारीख को, कथित पीड़ित पीडब्लू. 1 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं विद्वान और इस प्रकार दोषमुक्त होने का आदेश 12 अगस्त, 2011 के फैसले द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित विद्वान गया।

ई.

एफ.

18. आपराधिक मामला वास्तव में तुच्छ प्रकृति का था और भर्ती द्वारा निर्वहन किए जाने वाले पद और कर्तव्यों की प्रकृति को कभी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बल का सदस्य बनने के लिए नियम 1987 के नियम 52 को ध्यान में रखते हुए पदधारी की समग्र उपयुक्तता की जांच करते हुए नहीं देखा गया है।इस न्यायालय द्वारा अवतार सिंह (ऊपर) में व्यक्त किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे सुविचारित विचार में

जी.

2 (2021) 10 एससीसी 136

एच.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को पारित आरोपमुक्त करने का आदेश टिकाऊ नहीं है और इसके उत्तरार्द्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय अच्छा नहीं है और इसे अपास्त करना जाना चाहिए।

19. नतीजतन, अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 17 नवंबर, 2015 के फैसले और दिनांक 24 अप्रैल, 2015 और दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के आरोपमुक्त करने के आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है।प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को कांस्टेबल के पद पर सेवा में बहाल करें, जिस पर उन्हें रोजगार सूचना संख्या के संदर्भ में उनकी भागीदारी के अनुसार चुना गया था।1/2011 दिनांक 27 फरवरी, 2011।हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी उस अवधि के लिए वेतन के बकाया का हकदार नहीं होगा जिसके दौरान उसने बल की सेवा नहीं की है और साथ ही वह वेतन, वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभों सहित सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा। आज से एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे।कोई लागत नहीं।

बी.

सी.

डी.

20. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.